



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/625

29.10.2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: 31 सीमा शुल्क छूट अधिसूचनाओं का समेकन और सीमा शुल्क, आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकरण की संशोधित प्रभावी दरें

अधिसूचना संख्या 45/2025 – कस्टम दिनांक 24 अक्टूबर 2025

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 31 मौजूदा सीमा शुल्क छूट अधिसूचनाओं को एक अधिसूचना में समेकित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें भारत में आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क, आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकरण की प्रभावी दरें निर्धारित की गई हैं।

1 नवंबर 2025 से प्रभावी इस अधिसूचना का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना तथा व्यवसायों के लिए व्याख्यात्मक जटिलता को कम करना है।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एचएस कोड पर लागू संशोधित शुल्क दरों की समीक्षा के लिए उपरोक्त अधिसूचना का संदर्भ लें।

अधिसूचना https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20251027024702.pdf पर देखी जा सकती है

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सादर,

प्लेक्सकौन्सिल टीम